


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28 / 2024 बउनवानी लल्यो बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौली  
पुत्र श्री नानगा हरिजन निवासी हरिजन बस्ती मलारना डूंगर

GCMS No-2024/70

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	1
10.7.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना एवं तहसीलदार बौली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 9.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रार्थी के पिता स्व० श्री नानगा हरिजन पुत्र श्री भूरा महत्तर निवासी मलारना डूंगर सवाईमाधोपुर के नाम कमाण्डेड ऐरिया में अलोटमेंट भूमि सन् 1971 अनुसार क्रमांक 176 दिनांक 2.7.1972 को हुई थी। उक्त अलोटमेंट भूमि का प्रार्थी के पिता के नाम से नामा० कब तक खोलेगें की जानकारी।</li> <li>2. प्रार्थी के पिता की भूमि को प्रार्थी के नाम नामा० कब तक खोलेगें की सूचना देवे।</li> <li>3. यह भूमि अलोटमेंट कहाँ पर स्थित है जिसकी सूचना ओर इस जमीन की पेलेन्टी की काटी गयी रसीद की सूचना।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ किन्तु प्रार्थना पत्र के साथ पेनल्टी की रसीदें जो कि अपठनीय हैं भिजवायी गयी हैं। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सू०अधि० / 2024 / 78 दिनांक 4.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 9.4.2024 में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय से संबंधित होने के कारण तत्समय ही अपीलान्त का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौली द्वारा तत्समय ही जरिये पत्रांक 57 दिनांक 29.4.2024 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूंगर को अन्तरित किया जाकर अपीलान्त को भी सूचित कर दिया गया था। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध में तहसीलदार बौली के कार्यालय से नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 9.4.2024 में चाही गयी सूचना का संबंध में तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय से होने के कारण अपीलान्त का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौली द्वारा तत्समय ही जरिये पत्रांक 57 दिनांक 29.4.2024 से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मलारना डूंगर को अन्तरित किया जा चुका है। अपीलान्त द्वारा उक्त सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर से भी चाही जाने बाबत अन्य अपील संख्या 31 / 2023 पेश की हुई है जिसमें अपीलान्त को सूचना दिये जाने के संबंध में पृथक से आदेश पारित किये जावेंगे। इस प्रकार चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार बौली के कार्यालय से नहीं है से अपील अपीलान्त खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(डॉ०खुशाल)   
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर